सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 271/17 **निर्णय दिनांकः–**

1. इकबाल अहमद पुत्र सादक अली जाति मुसलमान निवासी मदीना मस्जिद मोहल्ला भिसतियान कोटगेट के अन्दर, बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 2–09–1997
सहायक आयुक्त उपनिवेशन,छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री गिरधारी रामावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 2–09–1997 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र अन्य को पूर्व में ही आवंटन होने के कारण खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट वर्ष 1997 में विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत व बतौर धरोहर राशि 500/— जमा करवाते हुए चक 6 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 36/59 के आवंटन की इस्तदुआ की गई। अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत द्वारा यह कथन करते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी चक 6 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 36/59 पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। जबकि अदालत मातहत को अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा के उपरान्त अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादगत् भूमि दिनांक 11—03—1993 को अन्य व्यक्ति केवल सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया को बतौर विशेष आवंटन में आवंटित में आवंटित किया जा चुका है। अदालत मातहत द्वारा जब वादगत् भूमि अन्य को आवंटित थी ऐसी स्थिति में उसी मुरब्बे के लिए आवेदन आंमत्रित करना आवंटन नियमों एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से आदेश जैर अपील कायम रखने योग्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—09—1997 के विरूद्व अपील दिनांक 01—08—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। चूंकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा रकबा है अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—09—1997 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 01—08—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए वादगत् भूमि चक 6 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 36/59 की विशेष आवंटन के तहत आवंटन की इस्तदुआ की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में ही अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित है। इस प्रकार अपीलांट/प्रार्थी भूमि आवंटन के पात्र प्रतीत नहीं होते है। अतः पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष निर्णय हेतु पेश हो।

(4) अदालत मातहत के उक्त आदेश की पालना में दिनांक 02—09—1997 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत होने पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से प्रार्थी द्वारा आवेदित रकबा चक 6 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 36/59 के लिए आवेदन किया गया, उक्त मुरब्बा पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटन है। जब भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटित है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थी का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया जाता है।

(5) चूंकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अन्य को आवंटनशुदा रकबा है। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा किसी भी स्थिति में अपीलांट को आंवटित नहीं किया जा सकता। विशेष आवंटन के तहत अपीलांट केवल आवेदित रकबा ही प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अन्य रकबा अपीलांट को उक्त प्रार्थना पत्र में आवंटित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 02—9—1997 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर